# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 27/2006

शोभित नवल खां पुत्र शैलेष कुमार जाति महाजन बविलायत वली जर्ये शैलेष कुमार पुत्र प्रेमचंद जाति महाजन निवासी मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. प्रेमचंद पुत्र रखबचंद जाति महाजन निवासी मांगरोल
2. रतन बाई पुत्री रखबचंद पत्नि नेन कुमार मेहता जाति महाजन निवासी जयपुर कॉपरेटिव की कॉलोनी सोडाला जयपुर
3. प्रेमलता पुत्री रखबचंद पत्नि धनराज महाजन जाति महाजन निवासी चौमुखा बाजार बून्दी
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांक: 30.11.2005

निर्णय दिनांक : 06.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं0 9 की 0.42 है0, खसरा नं0 10 रकबा 2.94 है0 तथा खसरा नं0 17 रकबा 3.15 है0 कुल किता 3 रकबा 6.51 है0 भूमि अवस्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2061 में प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उपरोक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 5 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा भूमि साबिक जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 में वादी के पिता मह दादा रखबचंद वल्द कंवरलाल जाति महाजन के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को इस वाद पत्र में विवादित ग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में रखबचंद पुत्र कंवरलाल जाति महाजन के नाम दर्ज थी। तथा रखबचंद पुत्र कंवरलाल वादी के पिता के दादा थें। वर्तमान में रखबचंद पुत्र करवलाल का देहान्त 18.06.2001 हो चुका है। लेकिन रखबचंद पुत्र कंवरलाल ने मरने से पूर्व उक्त भूमि के बाबत एक वसीयत वादी के नाम दिनांक 11.04.2001 को जिला कोटा में नोटेरी से प्रमाणित करवाकर वादी के पक्ष में कर दी थी। उक्त वसीयत के मुताबिक विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन ग्राम पंचायत मऊ एवं पटवारी हल्का द्वारा बिना कोई जानकारी लिए व बिना जांच पडताल के रखबचंद पुत्र कंवरलाल की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल नं0 136 से प्रतिवादी कम 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया। जिसका की उसको कोई अधिकार हासिल नही था। ग्राम पंचायत मऊ व पटवारी हल्का को उक्त इंताकर तस्दीक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से पूर्व पूर्ण जानकारी करके इंतकाल खोलना चाहिए था। इस कारण पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत के द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 136 पूर्णतया गैर कानूनी है। वादी वर्तमान में नाबालिग है। वर्तमान में माता पिता प्राकृतिक संरक्षक शैलेष कुमार के पास रहकर जीवन यापन कर परवरिश पा रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं0 9 की 0.42 है0, खसरा नं0 10 रकबा 2.94 है0 तथा खसरा नं0 17 रकबा 3.15 है0 कुल किता 3 रकबा 6.51 है0 में खोला गया इंतकाल नं0 136 को अवैध व शून्य घोषित करार दिया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी नं0 4 को दिये जावे तथा राजस्व रेकाड जमाबंदी में प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम हटाया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.11.2005 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 2 व 3 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। बावजूद सूचना के प्रतिवादी कम 2 व 3 अनुपस्थित रहने से दोनो को एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 4 सरकार जर्ये तहसीलदार भी अनुपस्थित रहने से एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी कम 1 की मृत्यु दिनांक 11.09.2007 को हो चुकी है। साक्ष्य मूल वादी शोभित नवल जर्ये वलि शैलेष जैन दिनांक 06.04.2016 को ली गयी। वादी की ओर से वादपत्र में पेश शुदा वसीयत का गवाही शैलेष शर्मा निवासी कोटा द्वारा वसीयत कर्ता महाजन द्वारा मुकाम कोटा पर दिनांक 11.04.2001 को रखबचंद पुत्र कंवरलाल ने मेरे समक्ष एक सहर्श पूर्ण होश हवास में खातेदार की स्वअर्जित सम्पति ग्राम कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं0 9 की 0.42 है0, खसरा नं0 10 रकबा 2.94 है0 तथा खसरा नं0 17 रकबा 3.15 है0 कुल किता 3 रकबा 6.51 है0 के संबंध में वसीयत आलेखित की थी जिसको में प्रमाणित करता हू।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि ग्राम कराडिया की नामांतकरण संख्या 136 से मुताबिक जमाबंदी कराडिया सम्वत 2061–64 में अंकित खातेदार प्रेमचंद पुत्र रखबचंद, रतन बाई, प्रेमलता पुत्रीया रखबचंद जाति महाजन सा0 मांगरोल का नामातंकरण संख्या 136 की प्रविष्टियां विलोपित करते हुए उक्त वाद पत्र में अंकित वसीयत की रोशनी में बहक वादी शोभित नवल खां पुत्र शैलेष कुमार जाति महाजन बविलायत वली जर्ये शैलेष कुमार पुत्र प्रेमचंद के हक में ग्राम कराडिया पटवार क्षेत्र मऊ तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं0 9 की 0.42 है0, खसरा नं0 10 रकबा 2.94 है0 तथा खसरा नं0 17 रकबा 3.15 है0 कुल किता 3 रकबा 6.51 है0 की राजस्व जमाबंदी में नवीन प्रविष्टी किये जाने के

तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
र से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।